न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 09/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर

आवेदक

बनाम

श्री मनीष सिंघल पुत्र श्री सुखलाल सिघल डेयरी फ्रेश डेयरी जिला भरतपुर जाति वैष्य उम्र 40 वर्ष निवासी जेडपी 1 कृष्णा नगर भरतपुर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायलान स्वयं

निर्णय

दिनांक : 11.09.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 16.05.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान दिनांक 24.07.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायलान को दी गई। नियत दिनांक 11.09.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 13.02.2019 को प्रातः 10.00 बजे गैरसायलान की डेयरी का

निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण डेयरी पर 12 किग्रा0 पनीर का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1 किग्रा0 पनीर 220/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–67/एक्ट/ 2019/80 दिनांक 28.02.2019 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायलान के द्वारा अमानक स्तर का पनीर आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायलान ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायलान यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायलान ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है तथा बहुत कम मात्रा मे पनीर, क्रीम, घी,दही का प्रतिदिन विक्रय किया जाना बताया है। भविष्य में गैरसायलान अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 13.02.2019 को गैरसायलान की डेयरी पर आमजनता के विक्रय हेतु पनीर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2019 में अमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायलान छोटे

स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास बहुत कम मात्रा में पनीर, क्रीम, घी, दही आदि की विक्री होती है। गैरसायल की डेयरी पर मात्र 12 किग्रा0 पनीर वक्त जांच पाया गया है जिसकी कीमत 2640/—रू0 होती है। इसमें से लागत निकालने पर मामली इनकम रह जाती है। गैरसायलान को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायलान के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2500/— रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर